गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़

कमांक 56 / छात्र कल्याण / 2017, बिलासपुर दिनांक 19.7.2017

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छत्तीसगढ)

विषयः– 18–19 आयु वर्ग के विद्यार्थियों का नाम जोड़े जाने हेतु विशेष शिविर (स्पेशल ड्राईव्ह) ।

महोदय / महोदया,

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 31जुलाई 2017 तक के समस्त पात्र विद्यार्थियों का नाम जोड़े जाने हेतु विशेष अभियान संचालित हैं। इसी तारतम्य में आपके शैक्षणिक संस्थान में भी दिनांक 22.7.2017 को निर्वाचन कार्यालय से नियुक्त बी.एल.ओ.,उपस्थित होकर पात्र छात्र– छात्राओं से आवेदन पत्र प्राप्त करेगें ।

अतः आपके विभाग के संबंधित विद्यार्थियों जिनकी आयु 01 जनवरी 2017 को 18 वर्ष हो चुकी है, उन्हें सूचित करने का कष्ट करें । आवेदन पत्र दिनांक 22.7.2017 दिन शनिवार को प्रशासनिक भवन के काउंटर हाल पर 11:00 बजे से 4:00बजे तक जमा होगें ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पृ0क0 57 / छात्र कल्याण / 2017 बिलासपुर दिनांक 19.7.2017

प्रतिलिपिः–

1. कुलपति / कुलसचिव के सचिव / निज सहायक की ओर कुलपति / कुलसचिव के सूचनार्थ प्रेषित।
2. बालक / बालिका छात्रावास अधीक्षक ,छात्र / छात्राओं को सूचित करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कार्यालय प्रति ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

कार्यालय अनुविभगीय अधिकारी (रा.) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
बिलासपुर, (छ.ग.)

ज्ञापन

क्रमांक क/कानूनगो /निर्वाचन/2017 बिलासपुर, दिनांक 12.07.2017.

प्रति,

(1) प्राचार्य / प्रधानाध्यापक, कुलसचिव

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

बिलासपुर जिला बिलासपुर।

(2) छात्रावास अधीक्षक

____

जिला बिलासपुर।

विषय :— 18—19 आयु वर्ग के नागरिकों का नाम जोड़े जाने हेतु विशेष शिविर (स्पेशल ड्राईव्ह)

—

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 31 जुलाई, 2017 तक 18—19 आयु वर्ग के समस्त पात्र नागरिकों का नाम जोड़े जाने हेतु विशेष अभियान संचालित है इसी तारतम्य में आपके शैक्षणिक संस्थान में भी दिनांक 22 जुलाई, 2017 को इस कार्यालय से नियुक्त बी.एल.ओ. उपस्थित होकर पात्र छात्र—छात्राओं से आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। कृपया निम्नानुसार पात्रता एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज के सम्बन्ध में समस्त छात्र—छात्राओं को अवगत कराते हुये आवेदन पत्र जमा कराने का कष्ट करें :—

1— जिस छात्र—छात्रा की आयु दिनांक 01 जनवरी, 2017 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुका है एवं जिनका नाम किसी भी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है, ऐसे छात्र—छात्रा ही पात्र होंगे। जो छात्र—छात्रा वर्तमान में अपने निर्धारित मतदान केन्द्र में नाम जोड़े जाने हेतु आवेदन पत्र जमा कर चुके हैं ऐसे छात्र—छात्रा से आवेदन पत्र न लिये जावे।

(2) आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि की प्रमाणिकता के लिये अंकसूची या अन्य प्रमाण पत्र, आवेदक के माता / पिता या पालक को जारी वोटर आई.डी. की छायाप्रति तथा एक गुणवत्ता युक्त पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो लिया जावेगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
बिलासपुर, छ.ग.

पृ. क्रमांक क/कानूनगो /निर्वाचन/2017 बिलासपुर, दिनांक 12.07.2017.

प्रतिलिपि :—

1— उप—जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।

2— हल्का पटवारी /सुपरवाईजर को सूचनार्थ अग्रेषित। अपने क्षेत्र में संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थानों को उपलब्ध करावें।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
बिलासपुर छ.ग.

DSW

Please upload on website